अति तत्काल

सं.17/2/2025-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
[पब्लिक अनुभाग]
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 26 मार्च, 2025

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक
6. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
8. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स
9. महानिदेशक, अग्निशामक सेवा
10. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो के पुलिस महानिदेशक
11. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

27 MAR 2025

विषयः- जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रंखला-2025 के लिए संस्तुतियां।

महोदय/महोदया,

जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलनों, जानवर द्वारा किए जाने वाले हमलों और खदानों में बचाव कार्य आदि जैसी घटनाओं में किसी व्यक्ति (यों) की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसाकि पुरस्कार के नाम से यह स्पष्ट होता है कि **उक्त पुरस्कार, जान बचाने वाले व्यक्ति को, किसी का जीवन बचाने के लिए प्रदान किया जाता है।** यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों के प्रदान किए जाते हैः-

i. **सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक-** यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को, जीवन के प्रति अत्यंत गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उत्कृष्ट कोटि के साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. **उत्तम जीवन रक्षा पदक-** यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उसके द्वारा साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

iii. **जीवन रक्षा पदक-** यह पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से शारीरिक चोट लगने की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

....जारी/

(8)

2. इन पुरस्कारों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति पात्र हैं। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यताप्राप्त अग्नि शमन सेवा आदि के सदस्य भी इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं । **जैसा की गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित "जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक" को "जीवन रक्षा पदक" में शामिल कर लिया गया है, सीएपीफ/सीपीओ और पुलिस बलों के सदस्य, जिन्होंने मानव जीवन को बचाने में कर्त्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है, वे भी "जीवन रक्षा पदक" के लिए पात्र हैं ।** यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है।

3. गृह मंत्रालय इन पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बालों और अन्य प्राधिकारियों से सिफारिशें आमंत्रित करता है। इन सिफारिशों की जांच एक उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जो अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात्, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के विषय में पुरस्कार-अलंकरण अर्थात् वित्तीय भत्ते सहित पदक और प्रमाण-पत्र संबंधित संस्तुतकर्ता प्राधिकारियों के पास भेज दिए जाते हैं।

4. पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, चरमपंथियों के हमलों, डूबने/आग की घटनाओं आदि के दौरान लोगों द्वारा जान बचाए जाने के विभिन्न कृत्यों की सूचनाएं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती हैं। तथापि, इस प्रकार के साहसी एवं पराक्रमी कृत्य जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत् होते हैं, उनके द्वारा समुचित नामांकन न हो पाने के कारण उपेक्षित रह जाते हैं। आप इस बात को समझेंगे कि पुरस्कार और अलंकरण (पदक) किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के मान्यतास्वरूप मूर्त-प्रतीक हैं। ऐसे पुरस्कार, जरूरत पड़ने पर सदृश कार्रवाई के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देते हैं। संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय के विचारार्थ उपयुक्त एवं पात्र नामांकन भेजें। यह भी नोट किया जाए कि इन पुरस्कार की संस्तुतियों पर, पुरस्कार समिति द्वारा पराक्रमी कृत्य के निष्पादन तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर विचार किया जाता है। **इसलिए, वर्ष 2025 के लिए कोई भी सिफारिश, जिसमें संबंधित कृत्य के निष्पादन की तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से पहले की हो, इस मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित नहीं की जानी चाहिए।**

5. जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की संस्तुतियों **को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (URL: https://www.awards.gov.in) पर ही भेजा जा सकता है।** इन संस्तुतियों में, वर्णनात्मक प्रारूप में एक प्रशास्ति-पत्र (अधिकतम 250 शब्द) के सहित उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट में विनिर्दिष्ट समस्त प्रासंगिक विवरणों को, बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित साहस और तत्परता और जीवन के लिए खतरा और विशिष्ट भूमिका, घटना के क्रमवार ब्योरे के साथ-साथ व्यक्ति (जान बचाने वाले व्यक्ति) की विशिष्ट भूमिका/योगदान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समाहित किया जाना चाहिए।

6. सिफारिशकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा हुआ एक चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र स्कैन किया जाए तथा इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस प्रमाणपत्र का प्रोफोर्मा वेबसाइट पर उपलब्ध है । उसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है । किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय

....जारी/

(9

यह सुनिश्चित कर लें, कि सिफारिश करने वाले व्यक्ति का हिन्दी में नाम सहित समस्त आवश्यक ब्योरा सही ढंग से भरा गया है। संस्तुत किए गए व्यक्ति का नाम गूगल हिन्दी ट्रांसलेटर का उपयोग करके हिन्दी में किया जा सकता है।

7. इस बात को नोट किया जाए कि जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार 2025 की सिफारिश हरहाल में **30 सितम्बर, 2025 तक भेज दी जाएं**। ऑनलाइन संस्तुतियों के लिए प्रत्येक सिफारिशकर्ता प्राधिकारी पिछले साल के यूजर आईडी और पासवर्ड प्रयोग करें । अगर किसी कारणवश यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपसे अनुरोध है कि ईमेल के जरिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने सरकारी ईमेल आईडी से **sopub@nic.in** पर एक ईमेल भेजें ।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

(देबोब्रोतो बासु)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाषः23092421

अनुलग्नक

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कार की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि * _____ के चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित कर लिया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।
2. **यह प्रमाणित किया जाता है कि * _____ (सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) का एक सदस्य है और जीवन रक्षक कार्य, जिसके लिए यह सिफारिश अग्रेषित की जा रही है, उसकी ड्यूटी के दौरान किया/नहीं किया गया था।

(हस्ताक्षर)

सिफारिश प्राधिकरण का नाम और पदनाम

तारीख

* अनुशंसित व्यक्ति का नाम

** केवल वर्दीधारी सेवाओं (जैसे सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) के सदस्यों के लिए लागू

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कारों की संस्तुति के लिए प्रोफार्मा

1.	पूरा नाम अंग्रेजी में (ब्लॉक अक्षरों में)	:	
2.	पूरा नाम हिंदी में (अनिवार्य)	:	
3.	पिता / पति / अभिभावक का नाम		
4.	जन्म तिथि / आयु	:	
5.	लिंग	:	
6.	डाक का पूरा पता (फोन नंबर आदि के साथ)	:	
7.	क्या सिफारिश मरणोपरांत पुरस्कार के लिए है?	:	हाँ / नही
8.	निकटतम परिजन का नाम एवं मृत व्यक्ति के साथ संबंध (मरणोपरांत पुरस्कार के मामले में)	:	
9.	घटना की तारीख नोट: 01/10/2023 से से पूर्व की घटनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा	:	
10.	जीवन रक्षा कार्य के दौरान बचाये गए व्यक्तियों की संख्या		
11.	क्या अनुशंसित व्यक्ति वर्दीधारी सेवाओं (सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यता प्राप्त अग्निशमन सेवाओं आदि) का सदस्य है?	:	
12.	यदि हाँ, तो क्या जीवन रक्षक कार्य ड्यूटी के दौरान किया गया था या अन्यथा?	:	
13	क्या जीवन रक्षक कार्य एक व्यक्तिगत प्रयास था या एक टीम वर्क?		
14	क्या जीवन रक्षक कार्य के दौरान बचावकर्ता को कोई चोट लगी थी?	:	हाँ / नही

15	यदि हाँ, तो बचावकर्ता को लगी चोट का विवरण?		
16.	पुरस्कार की सिफारिश* सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक / उत्तम जीवन रक्षा पदक / जीवन रक्षा पदक		
17.	क्या सम्बंधित व्यक्ति को कोई अन्य पुरस्कार दिया गया है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए उसका नाम विचाराधीन है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए वह पात्र है? कृपया विवरण दें, यदि कोई हो।		
18.	पहले प्राप्त किये गए जीवन रक्षा पदक श्रंखला पुरस्कार का विवरण, यदि कोई हो	:	पुरस्कार : वर्ष :

प्रशस्ति पत्र

यह जीवन रक्षक कार्यों का पूरा विवरण (अनुक्रम वार) लगभग 200 शब्दों के राइटअप के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए जिसमे बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं तत्परता का तथा उन परिस्थितियों में उसके जीवन पर आये खतरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जीवन रक्षक कार्य के दौरान अगर बचावकर्ता को कोई चोट आदि आई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाए । (अलग शीट संलग्न की जाए)।

* अनुशंसित पुरस्कार की श्रेणी को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए

नोट: सभी columns को सभी मामलों में पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

अनुलग्नक